ग्रेटर नौएडा औद्यौगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं0 01, सेक्टर नॉलेज पार्क–4,
ग्रेटर नोएडा

पत्रांकः ग्रेनो / बिल्डर्स / का0आ0 / 2018 / 1383
दिनांक : 17 जुलाई, 2018

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की बिल्डर्स योजनाओं में ऐसे आवंटियों / बिल्डर्स, जिन्होंने प्रथम फेज के कार्यपूर्ति हेतु 06 वर्ष (03 वर्ष निशुल्क तथा 03 वर्ष, 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ) के पश्चात तथा सम्पूर्ण क्षेत्रफल के कार्यपूर्ति हेतु 10 वर्ष (07 वर्ष निशुल्क तथा 03 वर्ष 4, 6, एवं 8 प्रतिशत विलम्बशुल्क के साथ निर्धारित समय अवधि) के पश्चात कार्यपूर्ति हेतु आवेदन किया है, उन प्रकरणों में 06 / 10 वर्ष पश्चात का समयवृद्धि शुल्क का निर्धारण न होने के कारण समय विस्तरण जारी किये जाने में कठिनाई आ रही है, जिसके कारण उन्हें कार्यपूर्ति प्रमाण जारी नहीं किया जा रहा है और बायर्स के पक्ष में सब लीजडीड निष्पादित नहीं हो पा रही है ।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.07.2018 के मद संख्या–112 / 8 में अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में निर्णय लिया गया है कि ग्रुप हाउसिंग / बिल्डर्स योजनाओं के फ्लैटिड आवंटनों में प्रथम फेज के कार्यपूर्ति हेतु 07 वें वर्ष (03 वर्ष निशुल्क तथा 03 वर्ष, 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से निर्धारित विलम्ब शुल्क के पश्चात) से लीजडीड में उल्लेखित भूखण्ड के प्रीमियम की 01 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से समानुपातिक क्षेत्रफल पर तथा सम्पूर्ण क्षेत्रफल के कार्यपूर्ति हेतु 11वे वर्ष (07 वर्ष निशुल्क तथा 3 वर्ष, 4, 6, एवं 8 प्रतिशत विलम्बशुल्क के साथ निर्धारित समय अवधि के पश्चात) से लीजडीड में उल्लेखित भूखण्ड के प्रीमियम की 01 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से समय विस्तरण शुल्क की गणना के साथ समय विस्तरण दिया जायेगा, परन्तु उक्त समय विस्तरण आवंटन के 15 वर्षों के पश्चात किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जायेगा एवं आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त जिन आवंटियों द्वारा अभी तक तत्समय प्रचलित दर के अनुसार विलम्ब शुल्क जमा कराते हुए समयवृद्धि प्राप्त की गई है, यह नीति उन आवंटियों पर लागू नहीं मानी जायेगी और न ही किसी आवंटी द्वारा जमा कराये गये विलम्ब शुल्क को वापिस किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी) को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. विशेष कार्याधिकारी (वी) को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष
5. वरिष्ठ कार्यपालक / प्रबन्धक (बिल्डर्स) को अनुपालनार्थ ।
6. प्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आदेश को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें ।

Bal Kr

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी